भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख देश है और इस क्षेत्र में अस्थिरता का भारत पर सबसे ज्यादा असर होता है। — मनीष तिवारी, कांग्रेस सांसद

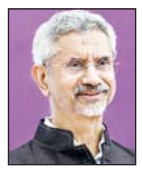

बांग्लादेश में कार्यरत राजनयिक मिशनों के माध्यम से सरकार बांग्लादेश में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में है। — एस. जयशंकार, विदेश मंत्री

गरीबों को सस्ता घर देने को डीडीए लाएगा आवासीय योजना

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही शहरभर के गरीबों के लिए सस्ता आवास योजना-2024 लाएगा। इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए प्राधिकरण जल्द ही वर्ष 2023 की कीमतों के आधार पर एमआईजी, एचआईजी श्रेणी के फ्लैटों की योजना की घोषणा करेगा। यह जानकारी प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक के बाद जारी बयान में दी है। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने नजूल की 23 संपत्तियों की पट्टा अवधि के नवीनीकरण-सह -फ्री होल्ड के लिए एक एमनेस्टी योजना का सहमति दी गयी है। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाशीष पंडा समेत सभी सदस्य एवं अधिकारी मौजूद थे।

डीडीए ने घोषणा की है कि वह जल्द ही शहर के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तीन तरह आवासीय योजनाएं घोषित करेगा। पहली आवासीय योजना सस्ता घर आवास योजना-2024 में करीब 34000 एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल होंगे। पहले आओ, पहले पाओ योजना के तहत यह फ्लैट रामगढ़ कालोनी, सिरसपुर, लोकनायक पुरम, रोहिणी एवं नरेला में होंगे और इनकी कीमत 11.5 लाख रुपए के करीब होगी। इसके साथ ही सामान्य आवास योजना-2024 की जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसमें करीब 5400 एलजीआईजी, एमआईजी एवं एचआईजी श्रेणी के फ्लैट शामिल होंगे। इन फ्लैटों की कीमत 29 लाख रुपए रखी गई है और यह फ्लैट जसोला, लोकनायमपुरम एवं नरेला में होंगे। तीसरी आवास योजना -2024 में कुल 173 फ्लैट शामिल होंगे। इनका आवंटन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इनकी निर्धारित कीमत 1.28 करोड़ रुपए रखी गई है, यह फ्लैट द्वारका स्थित सेक्टर-14, 16बी एवं 19बी में होंगे।

अधिकारी ने बताया कि शहर की स्वच्छता को एवं रखरखाव को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए डीडीए ने गाजीपुर स्थित बायो मिथेनाइजेशन प्लांट के लिए आवंटित जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने दिल्ली के लोगों के लिए सामुदायिक केंद्रों के प्रबंधन एवं उनके उपयोग के लिए नई नीति को मंजूरी दी गयी है। इसमें बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों के किराए की संरचना में छूट दी गयी है। यह नीति चरणों में तैयार की गयी है। इसमें ऑनलाइन बुकिंग के लिए सामुदायिक केंद्रों और आसपास के खुले स्थान भी शामिल हैं। इनकी बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऑन लाइन बुकिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

- पहले आओ-पहले पाओ के तहत 11.5 लाख में मिलेगा घर
- 23 नजूल की संपत्तियों के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी
- सामुदायिक केंद्रों के आवंटन के लिए नई नीति को मंजूरी
- एनडीएमसी के जेजे कलस्टर के पात्रों को नरेला में मिलेंगे फ्लैट

यह बुकिंग कार्यक्रम की तारीख से 120 दिन पहले की जा सकेगी और एक व्यक्ति को एक बार में 5 दिन से अधिक समय के लिए सामुदायिक केंद्र नहीं मिलेगा। इस सुविधाओं को लाइसेंस के आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव है। इसमें डीडीए अपनी संपत्ति को ई-नीलामी के माध्यम से 5 साल के लिए लाइसेंस दे सकेगा। जबकि बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की एक साथ नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस केंद्रों में मल्टी जिम, योग, वाचनायल, वरिष्ठ नागरियों के लिए कमरा, इनडोर खेल, फूड क्योस्क और बैंक एटीएम की सुविधा की अनुमति होगी।

डीडीए अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस के आधार पर आवंटित केंद्रों का इस्तेमाल केवल शादी समारोह, सामाजिक -सांस्कृतिक समारोह आदि के लिए किया जा सकेगा। डीडीए ने अपने आवंटित आवासीय,वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भूखंडों के निर्माण को पूरा करने की निर्धारित अवधि को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका लाभ केवल उन्हीं आवंटियों को मिल सकेगा, जिन्होंने भूमि का प्रीमियम जमा करा दिया है। डीडीए ने 23 नजूल स्टेट में आवासीय एवं मिश्रित भूमि उपयोग के समाप्ति अवधि के पट्टों (90 साल) के नवीनीकरण और फ्री होल्ड रूपांतरण में योजना के शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्तास है। हालांकि इन दोनों तरह की जमीन के नवीनीकरण का शुल्क अलग-अलग प्रस्तावित है और भूखंडों के आकार पर इसमें बदलाव होगा। इस योजना के तहत भुगतान के बाद ही नवीनीकरण किया जाएगा।

बोर्ड बैठक में एनडीएमसी स्थित 5855 जेजे कलस्टर में जलापूर्ति, नियंत्रण कक्ष, काली बाड़ी के पात्र परिवारों को नरेला स्थित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों में स्थानांतरित को मंजूरी दे दी गई है। यह जेजे कलस्टर सीबीडब्ल्यूडी की जमीन पर स्थित है। यह जमीन आरएमएल के निर्धारित है। इसके अलावा अन्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले पात्रों को भी फ्लैट आवंटन की योजना बनाई जाएगी। डीडीए के अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ के लिए ट्रांजिट कैंप के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय को आवंटित 1.94 एकड़ भूमि के सीएलयू के स्थान पर 7,847,97 वर्ग मीटर (1.94 एकड़) के लिए सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक से मनोरंजन के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए डीडीए जल्द ही आपत्तियां एवं सुझाव मांगेगा। गाजीपुर स्थित पॉकेट सी में 40300 वर्ग मीटर जमीन का इस्तेमाल एकीकृत माल ढुलाई परिसर के लिए किया गया है। दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर डीडीए ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी तरह की संपत्तियों में वर्ष 2023-24 की तुलना में 10 फीसद की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

आवंटियों को कब्जा देने से पहले संतुष्ट करेगा डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने आवंटियों को आश्वस्त किया है कि फ्लैट का कब्जा देने से पहले उन्हें पूरी तरह संतुष्ट किया जाएगा। इसके लिए डीडीए के अधिकारी आवंटी के साथ मिलकर साझा रूप से फ्लैट का निरीक्षण करेंगे और फ्लैट की कमियों को पूरा करेंगे। फ्लैटों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए डीडीए उपाध्यक्ष खुद निगरानी कर रहे हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टावर के लिए अलग से सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है।

- निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखना प्राथमिकता : डीडीए
- जे, के एवं एल टावर के फ्लैटों के निर्माण के लिए मांगा समय

जारी बयान में डीडीए ने कहा है कि टावर्स जे, के एवं एल के फ्लैटों का कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आवंटियों को आखिरी किस्त के भुगतान में एक महीने की राहत दी गई है। प्राधिकरण का कहना है कि फ्लैटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक टावर में अतिरिक्त सहायक अभियंता लगाए गए हैं। द्वारका स्थित 19बी गोल्फ व्यू कॉन्डोम के आवंटियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि आवंटियों को कब्जा पत्र जारी होने के बाद इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी साझा रूप से फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान फ्लैट में किसी तरह की कमी पाए जाने पर उसे दूर किया जाएगा।

'इंडियन डीजे एक्सपो-2024' का आयोजन

नई दिल्ली (एसएनबी)। म्यूजिक प्रोडक्शन, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े तकनीकी उद्योग की तीन दिवसीय प्रदर्शनी 'इंडियन डीजे एक्सपो- 2024' का आयोजन प्रगति मैदान में होने जा रहा है। प्रगती मैदान के हॉल नम्बर 8,11 और 14 में 8-10 अगस्त तक रहेगा इस एक्सपो का आयोजन।

इस बात की जानकारी इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले इस डीजे एक्सपो में 250 से अधिक ब्रांड्स हिस्सा लेंगे।

अखबार इश्तहार नोटिस

न्यायालय श्रीमान सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी, उप तहसील दयालपुर, फरीदाबाद

मु0न0– 142/NTD/23
ता0 पेशी– 13/08/24 किस्म दावा–तकसीम
मौजा – पहलादपुर माजरा बदरौला
बाअनुवान.....लीलावती बनाम ....कर्मवीर बगैरा

शुद्धि पत्र

उपरोक्त के सम्बंध में छपे विज्ञापन दिनांक 04-08-2024 में मु0न0– 142/NTD/23 की जगह गलती से मु0न0– 142/छज्ज/23 छप गया है कृपया इसे सुधार कर मु0न0– 142/NTD/23 पढ़े व माने तथा शेष पूर्वतः रहेगा। असुविधा के लिए खेद है।

सार्वजनिक सूचना

मैं बोध राज पुत्र स्व. श्री सुक्खू राम मदान, निवासी 8/49, गीता कॉलोनी दिल्ली–110031, सूचित करता हूँ कि मैं संपत्ति नंबर 8/49, Front Portion गीता कॉलोनी दिल्ली–110031, का एकमात्र मालिक/काबिज़ हूँ जो कि मुझे मेरी माताजी श्रीमती मोहन देवी की मृत्यु के उपरांत उनकी वसीयत दिनांक 29.03.1989, के द्वारा प्राप्त हुई है, अगर किसी को इस सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो तो उपरोक्त पते पर संपर्क करे।

9560758520

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

सीआईएन : L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सैक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
कॉर्पोरेट कार्यालयः 15वां तल, टॉवर ई, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच–10/ए, सैक्टर–98, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400
वैबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

29वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित, समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित, जिनमें सबसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र हैं, जिनमें सबसे नवीनतम SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र जिन्हें सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा जाता है), के अनुसरण में एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों की उनतीसवीं **(29वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 29 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 29वीं एजीएम के आयोजन की सूचना ('एजीएम नोटिस') में निर्धारित व्यवसाय को पूरा किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2023–24 ("एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट") हेतु एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सहित उन सदस्यों को केवल इलैक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडीज़ कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/ डिपॉज़िटरी पार्टिसिपैंट्स ('डीपी')के पास पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा एजीएम सूचना भेजने का कार्य 06 अगस्त, 2024 को पूरा किया जा चुका है।

उपरोक्त दस्तावेज़ कम्पनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors/reports-presentations पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com, पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों की ई–मेल आईडीज़ कम्पनी/आरटीए/डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे एजीएम में उपलब्ध कराए गए रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग हेतु अनुदेशों का पालन करें।

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना पंजीकरण कंपनी से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाओं सहित सभी संचार इलैक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करवा लें :

(i) सदस्यगण, जो कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, वह अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) सदस्यगण, जो कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, निर्धारित प्रपत्र आईएसआर–1 तथा अन्य संबद्ध प्रपत्रों में अपना विवरण कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड delhi@linkintime.co.in पर भेजकर पंजीकृत/अपडेट करवा सकते हैं। सदस्यगण निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-investor-forms से डाउनलोड कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों में सचिवीय मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') यथासंशोधित, के विनियम 44, के साथ पठित एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट, रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से (एजीएम से पहले) तथा ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से (एजीएम में) डालने की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं। हालाँकि, वे एजीएम में वोट डालने हेतु पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन ई–वोटिंग के रूप में इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।
2. सदस्य(ओं) के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 अगस्त, 2024, को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कट–ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य है, वह एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा डालने के लिए पात्र है।
3. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 अगस्त, 2024 को शेयर्स का धारक है, वह अपना वोट डालने के लिए अपना फोलियो संख्या/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी उल्लेखयुक्त एक ई–मेल evoting@nsdl.co.in अथवा investor@jublfood.com पर भेजकर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है, तो अपनी मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकता है।
4. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई–वोटिंग की शुरुआत	सोमवार, 26 अगस्त, 2024, (सुबह 09:00 बजे आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग का अंत	बुधवार, 28 अगस्त, 2024 (शाम 05:00 बजे आईएसटी)

एनएसडीएल द्वारा उसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसको बदलने की अनुमति नहीं होगी।

5. इस अवधि में, भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना वोट एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं।
6. सदस्यों को एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे वे सदस्य एजीएम में वोट डालने के पात्र होंगे, जिनके द्वारा एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला गया है।
7. जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।
8. विस्तृत प्रक्रिया और रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में ई–वोटिंग की विधि तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम सूचना में दिए गए हैं तथा कंपनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/company-reports/agm-notices और एनएसडीएल की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।
9. सदस्यगण एजीएम की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज़ प्रदान कराने के साथ evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर ई–वोटिंग के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
10. ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ की स्थिति में कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नंबरः 022–48867000 या 022–24997000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें, जिनके द्वारा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
11. कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध साझेदार, (सदस्यता संख्या एसीएस 16302) को, उनकी अनुपस्थिति में, मेसर्स चंद्रसेकरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सैक्रेटरीज़ के साझेदार, श्री लखन गुप्ता (सदस्यता संख्या एफसीएस 12682) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।
12. परिणामों की घोषणा लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और उन्हें समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वैबसाइट (www.jubilantfoodworks.com), एनएसडीएल की वैबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किया जाएगा।

वास्ते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता./–
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांकः 06.08.2024
स्थानः नोएडा

गाजीपुर नाले में डूबकर मां-बेटे की मौत का मामला

हाईकोर्ट ने एमसीडी, डीडीए व पुलिस को लगाई फटकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। गाजीपुर में एक महिला और उसके बेटे की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है तो वह एमसीडी के अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देना शुरू कर देगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि गाजीपुर क्षेत्र में नालों को ढकने या बैरिकेडिंग करने में अधिकारी विफल रहे हैं। पीठ ने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद टिप्पणी की कि वह सरकार से निगम को भंग करने के लिए भी कहेगा। अदालत ने कहा कि निगम अधिकारियों की विफलता पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा, एमसीडी एक आरामदायक क्लब बन गया है, जहां आप जाते हैं, एक कप चाय पीते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोर्ट में मौजूद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय नहीं आता है तो इससे जमीनी हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह एक उचित मामला है, जहां हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि एमसीडी को भंग कर दिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि दिल्ली में हालात ऐसे ही चल रहे हैं? कैबिनेट मीटिंग की कोई तारीख नहीं है,

- कहा,नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा, अदालत एमसीडी के अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देना शुरू कर देगी
- मुझे लगता है कि यह एक उचित मामला है, जहां हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि एमसीडी को भंग कर दिया जाना चाहिए : न्यायाधीश

स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की कोई तारीख नहीं है। अगर कैबिनेट व स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है तो बजट कैसे स्वीकृत होगा? यह ऐसा है जैसे हम कह रहे हों कि हमारी कोर्ट बैठे बिना ही मामलों का फैसला हो जाएगा।

पीठ ने एमसीडी को दुर्घटना वाले इलाके को खाली करने और बैरिकेड्स लगाने का आदेश दिया, ताकि नाले न खुले दिखें और न ही वहां कोई जा सके। अदालत ने दिल्ली पुलिस और डीडीए को भी मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि वह इस बात पर निर्णय नहीं करेगी कि जिस क्षेत्र में मौतें हुईं, वह एमसीडी या डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, क्योंकि यह पुलिस जांच का मामला है।

पीठ ने उक्त टिप्पणी झुन्नू लाल श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें महिला और उसके बेटे की नाले में गिरने और डूबने से मौत हो गई थी। उसने डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि तनुजा नामक 22 वर्षीय महिला व उसके 3 वर्षीय बेटे प्रियांश की नाले में गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित जलभराव के कारण नाले में गिर गए। पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस केवल नगर निगम अधिकारियों को नोटिस भेज रही है। फाइलों को जब्त करने या अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

कोचिंग सेंटर हादसा : सीबीआई अदालत में दाखिल की जमानत याचिका

नई दिल्ली (एसएनबी)। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत मामले में चार आरोपियों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। इससे पहले यह मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस वजह से तीस हजारी कोर्ट ने उनके जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था और उन्हें सीबीआई अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दे दी थी। मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह व सरबजीत सिंह को जामनत देने से इनकार कर दिया था।

पूर्व मध्य रेल

खुली ई–निविदा सूचना

1. कार्य का नाम एवं स्थान : 08 नंबरों की कमिंस इंजन ('बी', 'सी' और 'डी' चेक) की मरम्मत और रखरखाव सेवा/व्यापक एएमसी। पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर मंडल के तीन वर्षों (03 वर्ष) के लिए पीओएच के साथ टावर वैगनों/इंजनों की ओवरहालिंग। (इंजन मॉडल नं. NTA 855R और NT 855R)।
2. कार्य का अनुमानित मुल्य (रू.): रू 5,10,25,831.12, **3. जमानत राशि (रू.):** रू 4,05,100.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.):** रू 0/–, **4. ई–निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खुलने की तिथिः ई–निविदा प्रपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि एवं समयः** दिनांक 26.08.2024 को 12:00 बजे तक, **ई–निविदा प्रपत्र खुलने का निर्धारित समयः** दिनांक 26.08.2024 को 12:00 बजे वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.) कार्यालय, पूर्व मध्य रेल/सोनपुर में खोले जायेगें। **5. वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड का लोकेशन जहॉ से ई–निविदा संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती हैः** वेवसाईटः http://www.ireps.gov.in, **नोटिस बोर्डः** मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर के कैम्पस भवन, पूर्व मध्य रेल/सोनपुर

वरिय मंडल विद्युत इंजीनियर/ (क.वि)
पूर्व मध्य रेल/सोनपुर

पीआर/00843/एसईई/ईटीआरडी/टी/24–25/32

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.
मोरना (मुजफ्फरनगर) पिन-251316

पत्र संख्या- 709/सिविल/2024-25 दिनांक : 05.08.2024

ई-निविदा सूचना

अनुभवी एवं रजिस्टर्ड ठेकेदारों से इस मिल समिति के ब्वायलिंग हाउस, पैन स्टेशन तथा ब्वायलर हाउस में नान ए.सी. शीट लगाने का कार्य धरोहर धनराशि रु. 35000.00 हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विस्तृत विवरण www.etender.up.nic.in पर दिनांक : 05.08.2024 से देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 590.00 जी.एस.टी. सहित है। इस मिल समिति में फिड पम्प, सल्फाइटर जूस पम्प, ए-लाइट एतं ए-हैवी पम्प फाउण्डेशनों की गले/ हिले बोल्टों हेतु आर.सी.सी. फाउण्डेशनों की कोर कटिंग एवं आर.सी.सी. फाउण्डेशन की तोडाई/डिस्मेंटलिंग तथा रि-ग्राउटिंग कार्यों हेतु दिनांक : 12.08.2024 तक कुटेशन आमंत्रित की जाती है। एक अथवा सभी निविदा को निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। कार्य से सम्बन्धित जानकारी सिविल कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अजय कुमार राय (पी.सी.एस.) प्रधान प्रबन्धक

कार्यालय उपनिदेशक (वि./यॉ.)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ.प्र.
नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद।

पत्रांक : वि./यां./गा./(कोटेशन)/2024-162 दिनांक : 06.08.2024

ई-कोटेशन सूचना

कार्यालय पत्रांक वि./यॉ-66 दिनांक 05.06.2024 द्वारा 13.06.2024 पत्रांक 84 दिनांक 15.06.2024 द्वारा दिनांक 25.06.2024 पत्रांक 97 दिनांक 26.06.2024, द्वारा दिनांक 04.07.2024 एवं पत्रांक 130 दिनांक 10.07.2024 को आमंत्रित ई-कोटेशन पुनः दिनांक 17.08.2024 को आमंत्रित किया जा रहा है जो उसी दिन 12.30 बजे कार्यालय उपनिदेशक (वि./यॉ.), नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद में खोला जायेगा। ई-कोटेशन दिनांक 16.08.2024 को अपराह्न 5.00 तक वेबसाईट www. etender. up.nic.in पर ऑनलाईन भरकर अपलोड की जा सकती है। इसके उपरान्त वेबसाइट स्वतः बन्द हो जायेगी। संबंधित आवश्यक प्रपत्र ई-कोटेशन के साथ ही अपलोड किया जाना आवश्यक है। शेष नियम व शर्तें ऑनलाईन पढ़ी जा सकती है।

पत्रांक :- वि./यॉ./गा./2024-163 दिनांकः 06.08.24 **उपनिदेशक (वि./यॉ.)**

पत्नी पूर्व पति को दे 15 लाख हर्जाना : कोर्ट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति को बिना आधार के बदनाम करने पर अदालत ने उसकी तलाकशुदा पत्नी को मानहानि करने का दोषी ठहराया है और उससे हर्जाने के रूप में पूर्व पति को 15 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। साकेत कोर्ट के न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने पाया कि पूर्व पत्नी के कृत्यों ने व्यक्ति को